वकील वादी मु० / साक्ष्य वादी के
पास पत्रावली दिनांक 8/1/20 को

8/1/20

वकील वादी मु० / वकील वादी के साक्ष्यवादी
समय पास पत्रावली दिनांक 4/2/20 को
पेश हो।

4/2/20

वकील वादी मु० / पत्रावली साक्ष्य वादी के लिए
दिनांक 3/8/15 से विद्यमान होने से साक्ष्य वादी
हेतु पत्र जारी किये जा चुके हैं। व्यापक
हित में दिनांक 6/2/20 को उपस्थित भी
वादी में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। इसके अतिरिक्त
होती है कि वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए
इच्छुक नहीं है। पत्रावली न्यायालय को निरस्थक
समय बर्बाद किया जा रहा है। वादीगण के
साक्ष्य के लिए अन्तिम बार किया जाता है। पत्रावली
का निस्तारण किया जो यानी कि अधिकारी की
दिनांक 3/8/15 को एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है।
बाद पत्र दायी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली दीमक शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.03.19 13:12:29 IST
Reason: SelfAttested